**Comprehensive Checklist of Documents to be submitted with Application for Land Allotment** **in SIPCOT Industrial Parks / भूमि आवंटन हेतु दस्तावेज़ों की व्यापक चेकलिस्ट (एसआईपीसीओटी औद्योगिक पार्कों हेतु)**

The list of documents to be submitted by the applicant are as follows: / आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची इस प्रकार है:

1. Brief Project Report mentioning the following: (a) Promoters background with previous experience, (b). Manufacturing process (c). Major raw materials, (d). End use of the finished products, etc.

संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हों: (a) प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि एवं पूर्व अनुभव, (b) निर्माण प्रक्रिया, (c) प्रमुख कच्चा माल, (d) तैयार उत्पादों का अंतिम उपयोग आदि।

1. Certificate of Incorporation and Memorandum & Articles of Association for Private/ Public Limited / Joint sector companies (or) Partnership deed and Firm’s Registration Certificate for Partnership firms.

निजी / सार्वजनिक लिमिटेड / संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों के लिए निगम प्रमाणपत्र एवं ज्ञापन और उपविधियाँ या साझेदारी फर्मों के लिए साझेदारी अनुबंध एवं फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र।

1. Copies of Consent to Establish and Consent to Operate (if available) obtained from TNPCB and copies of any other statutory approval obtained for the existing company.

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) से प्राप्त स्थापना की स्वीकृति और संचालन की स्वीकृति (यदि उपलब्ध हो) की प्रतिलिपियाँ तथा मौजूदा कंपनी द्वारा प्राप्त अन्य किसी भी वैधानिक स्वीकृति की प्रतिलिपियाँ।

1. Rough building layout indicating the factory, office, godown, open space, future expansion etc.

भवन का मोटा लेआउट जिसमें कारखाना, कार्यालय, गोदाम, खुला स्थान तथा भविष्य विस्तार आदि दर्शाया गया हो।

1. Latest Annual Report / Profit & Loss Account for the last three years in the case of existing companies/firms.

मौजूदा कंपनियों / फर्मों के मामले में, पिछले तीन वर्षों की नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदन / लाभ एवं हानि खाते की प्रतिलिपि।

1. List of Directors / Partners, Shareholders with the shareholding pattern of the company/ firm duly certified by a Chartered Accountant, and in case of a foreign company, it should be certified by a CPA (Certified Public Accountant).

निदेशकों / साझेदारों / शेयरधारकों की सूची तथा कंपनी / फर्म की शेयरधारिता संरचना, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। विदेशी कंपनी के मामले में इसे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट (सीपीए) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।